

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प0 12(07)वन/2025-08421-पार्ट-2

जयपुर, दिनांक:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-विदेश यात्रा की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्री महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार लेख है कि विभाग में पदस्थापित कार्मिकों की विदेश यात्रा की अनुमति से सम्बन्धित प्रकरण समुचित दस्तावेज/सूचना का परीक्षणोपरान्त विदेश यात्रा पर जाने की तिथि से 15 दिवस पूर्व शासन स्तर पर भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीया,

(शीलावती मीणा)
शासन उप सचिव

